तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदइनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए ।
	आशा कुंवर v/s गिरजासिंह वगै० T.9	
16/x/18	वकील फरीकेन उप० उपार्थी स. 2 श्री मोरहे श्री राजेन्द्र शुक्ला एड० उप० है पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 27/11/18 को पेश हो	
	27/11/18 वकील फरीकेन उप०/SDO साहब दीगर कार्यो में व्यस्त है। पूर्वानुसार दि० 8/1/19 को पेश है।	
	8/1/19 वकील फरीकेन उप० उपार्थी सं. 2 जवाब देना नहीं चाहते हैं, इसलिए इनका जवाब बंद किया जाता है। उपार्थी सं. 5 का जवाब भी बंद किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 19/2/19 को पेश हो	
	19/2/19 वकीलों के द्वारा न्यायिक कार्य अभाव के कारण पूर्वानुसार दि० 24/5/19 को पेश हो	
	24/5/19 वकील फरीकेन उप० पूर्वानुसार दि० 21/5/19 को पेश हो	
	21/5/19 वकील फरीकेन उप० पूर्वानुसार वास्ते बहस दिनांक 11/6/19 को पेश हो	
	11/6/19 वकील फरीकेन उप० बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18/6/19 को पेश हो।	
	18/6/19 वकील फरीकेन उप० प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर कानूनदा शामिल दाखिल रहे	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
04/17	अस्थायी निषेधाज्ञा	13.02.17	18.06.19

1. आशा कंवर बेवा सत्येन्द्रसिह जाति राजपूत निवासी खोह तहसील सपोटरा जिला करौली राज0
2. अर्जुनसिह पुत्र सत्येन्द्रसिह जाति राजपूत निवासी खोह तहसील सपोटरा जिला
3. करणसिह पुत्र सत्येन्द्रसिह जाति राजपूत करौली जरिये संरक्षिका खुद मॉ आशा कंवर बेवा सत्येन्द्रसिह जाति राजपूत

–प्रार्थीगण

बनाम

1. गिर्राजसिह पुत्र नरसिह निवासीयान खोह हाल वासी बाजणी तलाई श्री रामनगर
2. भूरसिह पुत्र नरसिह कॉलोनी वार्ड नं0 31 सांगानेर जयपुर राजस्थान।
3. विजेन्द्रसिह पुत्र गिर्राजसिह
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
5. शाखा प्रबन्धक पी.एन.बी. शाखा अमरगढ तहसील सपोटरा जिला करौली।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः– श्री शेरसिह वकील प्रार्थीगण।
श्री कमरपाल मीना वकील अप्रार्थी सं0 1,3,4
श्री तेजेन्द्र शुक्ला वकील अप्रार्थी सं0 2

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि ग्राम खोह तहसील सपोटरा के आराजी खसरा नं0 112, 113, 116, 185, 186, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 292, 293, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 315, 316, 324, 344, 346, 348, 361, 396, 463, 539, 540, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 566, 567, 568, 593, 595, 596, 755, 756, 757 कुल किता 53 कुल रकबा 80 बीधा 14 बिस्वा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 4 पुश्तैनी खातेदारी की आराजीयात है। उक्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज नरसिह पुत्र मनोहरसिह जाति राजपूत निवासी खोह के नाम से चली आ रही है। नरसिह मुझ प्रार्थी नं0 1 के सायला ससुर है यानि प्रार्थीया के ससुर गिर्राजसिह अप्रार्थी सं0 1 के पिता है इसलिए उक्त आराजीयात पुश्तैनी है। उक्त आराजीयात का अप्रार्थी सं0 1 ने पूर्व से ही अपना हिस्सा मौके पर 1/2 बाहमी बंटवारा करके अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। उक्त आराजीयात खोह बांध डूब मे आ जाने से जाने के कगार पर है। डूब मे जाने के कारण मुआवजा सरकार द्वारा खातेदार को दिया जा रहा है। हम प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं0 1 से अपने हिस्से की आराजी का दिनांक 02.02.2017 को बंटवारा अनुसार अपने नाम कराने के लिए कहा तो साफ इंकार हो गया और कहने लगा कि मै तुम्हे जमीन नही दूंगा ना ही तुम्हे मुआवजे की राशि मिलेंगी उसमे से भी हिस्सा नही दूँगा। इसलिए प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीयान जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी सं0 6 बावजूद तामील नोटिस उपस्थित न्यायालय नही आया इसलिए इसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी सं0 2 तथा 5 के जवाब बंद

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला–करौली

Scanned by CamScanner

किये गये। अप्रार्थी सं0 1, 3, 4 ने जरिये वकील उपस्थित न्यायालय होकर जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे ना तो सजरा पेश किया है और ना ही कोर्ट फीस का हवाला दिया गया है। विवादित आराजीयात विवादित आराजीयात खोह बांध के डूब क्षैत्र मे आ रही है जिसका मुआवजा वितरण भी किया जा चुका है तथा कुछ मुआवजा दिया जाना है। प्रार्थना पत्र हेतुक उत्पन्न नही होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने योग्य है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत फोटो प्रति जमाबंदी ग्राम खोह तहसील सपोटरा सम्बत् 2073–76 के अनुसार प्रार्थीगण विवादित आराजीयात मे सहखातेदार के रूप मे दर्ज नही हैं। अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के रिकार्डेड सहखातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित नही है। विवादित आराजीयात खोह सिचाई परियोजना के डूब क्षैत्र मे आने से हितबद्व खातेदारों को 80 प्रतिशत मुआवजा राशि का भुगतान लगभग आठ दस वर्ष पूर्व हो चुका है शेष भुगतान की कार्यवाही प्रकियाधीन है। खोह बांध सिचाई परियोजना को अवाप्त करने की कार्यवाही लगभग 12 वर्ष पूर्व से प्रकियाधीन है अब परियोजना का डूब क्षैत्र के मुआवजे का फाईनल अवार्ड पारित हो चुका है अवाप्तशुदा भूमि पर आंशिक कार्य भी हो चुका है भूमि सिचाई विभाग को स्थानान्तरित हो चुकी है। इसलिए प्रार्थीगण को कोई असुविधा भी नही हुई है ना ही कोई अपूरणीय क्षति हुई है। इसलिए सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित नही है। प्रार्थीगण के तथ्यों को वाद पत्र मे साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय किया जावेगा। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद कराने के अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 18.06.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner